

7
44

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(ii)

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)

New Delhi, the 29th April, 1976.

NOTIFICATION

S.O. 2123 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators (whether known as the Lieutenant Governor or Chief Commissioner) of the Union territories of Delhi and Chandigarh shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the following provisions of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), namely:-

- (a) clause (d) of section 2;
- (b) the second proviso to clause (B) of the Explanation to clause (o) of section 2;
- (c) sub-section (2) of section 7;
- (d) sub-section (5) of section 10;
- (e) sub-sections (1) and (3) of section 11;
- (f) sub-section (1) of section 12;
- (g) sub-section (1) of section 14;
- (h) clause (vi) of sub-section (1) of section 19;
- (i) section 20;
- (j) sub-section (1) of section 21;
- (k) sub-section (1) of section 23;
- (l) sub-section (1) of section 24;
- (m) section 34;
- (n) section 35;
- (o) section 37.

[No.U-11030/4/76-UTL]

H. C. Bakhshi
(H.C. BAKHSI)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

The Manager, Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, NEW DELHI.

(भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-3(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल, 1976.

अधिसूचना

का० आ० संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति
एतद्द्वारा यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
वाहे उन्हें (उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त कहते हों) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा
अगला आदेश जारी होने तक नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियम) अधिनियम,
1976 (1976 का 33) के निम्नलिखित उपबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकार वत कार्य
तथा शक्तियों का, प्रयोग करेंगे। नामतः

- (क) धारा 2 का खण्ड (घ)
- (ख) धारा 2 के खण्ड (ण) की व्याख्या के खण्ड (ख) का दूसरा परन्तुक
- (ग) धारा 7 की उपधारा (2)
- (घ) धारा 10 की उप-धारा (5)
- (ङ) धारा 11 की उप-धारा (1) और (3)
- (च) धारा 12 की उप-धारा (1)
- (छ) धारा 14 की उप-धारा (1)
- (ज) धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (vi)
- (फ) धारा 20
- (झ) धारा 21 की उप-धारा (1)
- (ट) धारा 23 की उप-धारा (1)
- (ठ) धारा 24 की उप-धारा (1)
- (ड) धारा 34
- (ड) धारा 35 तथा
- (ण) धारा 37

(र्य० 1103014176-यू० टी० एल०)

हरिश् चन्द्र बख्शी

(हरिश् चन्द्र बख्शी)

वर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली।